यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

बैंक जमा नीति

1. प्रस्तावना

बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य ऋण देने के प्रयोजन हेतु जनता से जमा स्वीकार करना है. वास्तव में, जमाकर्ता बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख हितधारक होते हैं. जमाकर्ता और उनके हित भारत में बैंकिंग के विनियामक ढांचे का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित है. भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाराशियों पर ब्याज दरों तथा जमा खातों के संचालन से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में समय-समय पर निर्देश/संसूचनाएं जारी करने का अधिकार दिया गया है. वित्तीय प्रणाली में उदारीकरण और ब्याज दरों के नियंत्रण को समाप्त करने से, बैंक अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अंदर जमा उत्पाद तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं.

जमाओं से संबंधित इस नीति दस्तावेज में बैंक द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले विभिन्न जमा उत्पादों को तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों और खाते के संचालन पर लागू होने वाले निबंधन एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है. ग्राहकों के फायदे के लिए इस दस्तावेज में जमाकर्ताओं के अधिकारों और जनसामान्य - के सदस्यों से जमाएं स्वीकार करने, विभिन्न जमा खातों के संचालन एवं परिचालन, विभिन्न जमा खातों पर ब्याज का भुगतान, दिवंगत जमाकर्ताओं, आदि की जमाराशियों के निपटान की पद्धति आदि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना के प्रसारण के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है. यह अपेक्षा की जाती है कि इस दस्तावेज से व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में अत्यधिक पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक को बिना कोई मांग किए उसे आधिकारिक सेवाएं प्राप्त हों.

इस नीति को अपनाने के दौरान, बैंकों द्वारा अपनाई गई बैंक की वचनबद्धता के कोड में उल्लिखित वचनबद्धता को वैयक्तिक ग्राहकों के लिए दोहराया गया है. यह दस्तावेज़ एक व्यापक ढांचा है जिसके तहत सामान्य जमाकर्ताओं के अधिकारों की पहचान की जाती है. विभिन्न जमा योजनाओं और संबंधित सेवाओं पर विस्तृत परिचालनात्मक निर्देश समय-समय पर जारी किए जाते है.

2. जमा खातों के प्रकार

बैंक द्वारा विभिन्न जमा उत्पादों को अलग-अलग नाम दिए गए है, जमा उत्पादों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

प्रमुख जमा योजनाओं की परिभाषा निम्नानुसार हैं:

2.1 "मांग जमा" से अभिप्राय बैंक द्वारा प्राप्त की गई उस जमा राशि से है जिसे मांग पर खाते से निकाला जा सकता है;

2.2 "बचत जमा" से अभिप्राय उस जमा राशि से है, जिस पर एक विशिष्ट अवधि के दौरान राशि निकालने की संख्या और बैंक द्वारा अनुमत की जाने वाली निकासी राशि पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं;

2.3 "चालू खाता" से अभिप्राय उस मांग जमा खाते से है जिसमें खाते में जमा राशि के आधार पर या एक विशेष सहमत राशि तक खाते से राशि निकालने की अनेक बार अनुमति दी जाती है और इनमें वे जमा खाते शामिल होंगे जो न तो बचत जमा और न ही मीयादी जमा खाते हैं.

2.4 "नोटिस जमा" से अभिप्राय उस मीयादी जमा से है जो एक विशिष्ट अवधि के लिए किया जाता है, और जिसका आहरण न्यूनतम एक पूर्ण बैंकिंग दिवस की सूचना के बाद किया जा सकता है;

2.5 "मीयादी जमा से अभिप्राय बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की गई जमा राशि से है, जिसे समान्यतः निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद ही निकाला जा सकता है और इसमें आवर्ती जमा/अल्पावधि जमा/मीयादी जमा/मासिक आय जमा/तिमाही आय प्रमाणपत्र/जमा पुनःनिवेश प्रमाणपत्र आदि जैसी जमाराशियां शामिल होती हैं;

3. जमा खाते खोलना और उनका परिचालन

3.1 बैंक कोई भी जमा खाता खोलने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक धन शोधन निवारक नीति नियम और विनियम द्वारा जारी किए गए 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) संबंधी दिशा-निर्देशों तथा/अथवा बैंक द्वारा लागू किए गए अन्य दूसरे मानदण्ड या कार्यविधियों के अंतर्गत यथा आवश्यक उचित सावधानी बरतता है. यदि एक भावी जमाकर्ता का खाता खोलने के लिए उच्च स्तर पर मंजूरी आवश्यक है, तो ऐसे खाते को खोलने में होने वाली किसी भी देरी के कारणों से भावी जमाकर्ता को सूचित किया जाएगा और बैंक के अंतिम निर्णय के बारे में भावी जमाकर्ता को अवगत कराया जाएगा.

3.2 बैंक समाज के वंचित वर्गों को मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्हें बैंकिंग सेवाएं, बेसिक सेविंगस बैंक स्माल अकाउंट (बीएसबीडीएस) के माध्यम से दी जाएंगी और खाता विनियामक दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहकों से स्वीकृत शिथिल मानदंडों के अनुसार खोला जाएगा.

3.3 बैंक द्वारा खाता खोलने का फॉर्म और अन्य सामग्री संभावी जमाकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और सत्यापन तथा/अथवा रेकॉर्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विस्तृत विवरण समाविष्ट होगा. जब कोई संभावी ग्राहक जमा खाता खोलने के लिए शाखा में आता है, तब खाता खोलने वाले बैंक के अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यविधि संबंधी औपचारिकताएं स्पष्ट करें और संभावी जमाकर्ता द्वारा मांगे गए आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं.

3.4 नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा ग्राहकों को जोखिम धारणा के अनुसार वर्गीकृत करने और लेनदेन की निगरानी के प्रयोजन के लिए ग्राहकों की प्रोफ़ाइल तैयार करने की आवश्यकता है. एक संभावित ग्राहक द्वारा आवश्यक जानकारी/विवरण प्रदान करने के लिए असमर्थता या अनिच्छा पर बैंक उसका खाता खोलने से इंकार कर सकता है.

3.5 सांविधिक दायित्वों को पूरा करने हेतु बैंक द्वारा मांगे गए आवश्यक विवरण को प्रदान करने में यदि कोई मौजूदा ग्राहक असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक को सूचना(सुचनाएं) देने के बाद खाता बंद कर सकता है.

3.6 बचत बैंक खाता और चालू जमा खाता जैसे जमा उत्पादों के लिए, इस तरह के खातों का संचालन संबंधित नियमों और शर्तों के भाग के रूप में, बैंक एक निश्चित न्यूनतम शेष राशि बनाए रखा जाना निर्धारित करेगा. न्यूनतम शेष बनाए नहीं रखने पर. बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट

प्रभार वसूल किए जाएंगे. बचत बैंक खातों के लिए, बैंक निर्धारित अवधि के लिए लेनदेन, नकदी आहरणों, आदि की संख्या पर प्रतिबंध लगा सकता है. इसी तरह, बैंक चेक बुक जारी करने, अतिरिक्त खाता विवरण, डुप्लीकेट पासबुक, फोलियो प्रभार आदि के लिए प्रभार निर्दिष्ट कर सकता है. खातों के परिचालन की शर्तों और विभिन्न सेवाओं के प्रभारों की सूची के संबंध में ऐसी सभी जानकारियां खाता खोलते समय संभावी ग्राहक को उपलब्ध करायी जाएगी.

3.7 पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों और कतिपय संगठनों/एजेंसियों के लिए बचत बैंक खाते खोले जा सकते हैं (समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित पात्रता मानदंडों के अनुसार).

3.8 चालू खाते व्यक्तियों/भागीदारी फर्म/निजी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/एचयूएफ़/विनिर्दिष्ट असोसिएटस/ सोसाइटियों/ट्रस्ट, सरकार(केंद्र या राज्य) द्वारा निर्मित विभाग/प्राधिकरण, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्शिप आदि द्वारा खोले जा सकते है.

3.9 मीयादी जमा खाते व्यक्तियों/भागीदारी फर्म/निजी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/एचयूएफ़/विनिर्दिष्ट असोसिएटस/सोसाइटियों/ट्रस्ट, सरकार (केंद्र या राज्य) द्वारा निर्मित विभाग/प्राधिकरण, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्शिप आदि द्वारा खोले जा सकते है.

3.10 एक जमा खाता खोलते समय, समुचित सावधानी प्रक्रिया में व्यक्ति की पहचान, पते का सत्यापन, नौकरी और आय के स्रोत के बारे में संतुष्ट होना शामिल है. भावी जमाकर्ता का परिचयकर्ता (यदि आवश्यक हो) जो बैंक को स्वीकार्य हो और खाता खोलते समय/खाते के परिचालन के समय व्यक्ति/व्यक्तियों का नवीनतम फोटो प्राप्त करना समुचित सावधानी प्रक्रिया का भाग है.

3.11 समुचित सावधानी प्रक्रिया के अतिरिक्त, केवाईसी मानदंडों के अंतर्गत, बैंक को कानूनी रूप से स्थायी खाता संख्या(पैन) प्राप्त करना आवश्यक है या उसके स्थान पर आयकर अधिनियम/नियमों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट फॉर्म न. 60 या 61 में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक है. खाता खोलने के लिए एफ़एटीसीए(FATCA) घोषणा आवश्यक है.

3.12 खाता खोलने के लिए आधार संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है और जहां संभावित ग्राहक को आधार संख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, आधार नामांकन का आवेदन पत्र देना आवश्यक है. यह प्रावधान निम्न को लागू नहीं है

3.12.1 व्यक्ति जो अल्प बचत खाता खोलना चाहता है.

3.12.2 जहां संभावित ग्राहक आधार अधिनियम, 2016 (वित्तीय एवं अन्य सहयोगी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) के अनुसार निवासी नहीं है अर्थात वह व्यक्ति जो आधार नामांकन की तारीख से पूर्व 12 माह में 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत में नहीं रहा है.

3.12.3 वह जम्मू & कश्मीर, असम या मेघालय का निवासी है.

3.13 एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के नाम से (जो एकल नाम वाले खाते के नाम से जाना जाता है) या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने नामों से (जो संयुक्त खाते के नाम से जाना जाता है) जमा खाता खोले जा सकते है.

3.14 संयुक्त खाते का परिचालन - एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए संयुक्त खाते एकल व्यक्ति द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किए जा सकते है. खाते के

परिचालन संबंधी अधिदेश में सभी खाता धारकों की सहमति से संशोधन किया जा सकता है. अवयस्क द्वारा नैसर्गिक अभिभावक/अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोले गए बचत बैंक खाते का परिचालन केवल ऐसे अभिभावक द्वारा ही किया जा सकता है.

3.15 संयुक्त खाताधारकों द्वारा उपर्युक्त खातों में शेष राशि का निपटान करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक अधिदेश दे सकता है:

3.15.1 दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी: यदि खाता दो व्यक्तियों द्वारा, अर्थात ए और बी द्वारा रखा गया हो, तो किसी भी खाताधारक की मृत्यु होने पर शेष राशि और साथ में ब्याज, यदि लागू हो, किसी भी खाता धारक अर्थात ए या बी, परिपक्वता की तारीख पर या खाते में से किसी एक की मृत्यु पर उत्तरजीवी को अदा किया जाएगा.

3.15.2 कोई भी या उत्तरजीवी: यदि खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, अर्थात ए, बी और सी, तो अंतिम शेष राशि और साथ में ब्याज, यदि लागू हो, तो किसी भी खाताधारक अर्थात ए,बी,सी को परिपक्वता की तिथि पर अदा किया जाएगा.

खाता धारकों में से किसी भी खाताधारक की मृत्यु होने पर मानों ए की मृत्यु होने पर, अंतिम शेष राशि और साथ में ब्याज, यदि लागू हो, दो जीवित खाताधारकों में से किसी एक को अदा किया जाएगा अर्थात बी या सी. खाता धारकों में से कोई भी दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर मानों ए और बी की मृत्यु होने पर, अंतिम शेष राशि और साथ में ब्याज, यदि लागू हो, जीवित खाता धारक को अदा किया जाएगा अर्थात सी.

3.15.3 पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी : यदि कोई खाता दो व्यक्तियों, अर्थात ए और बी द्वारा रखा गया है, तो अंतिम शेष राशि और साथ में ब्याज, यदि लागू हो, तो पूर्ववर्ती को अदा किया जाएगा, अर्थात परिपक्वता पर ए को भुगतान किया जाएगा और किसी भी खाताधारक की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी को अदा किया जाएगा.

3.15.4 उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी : यदि कोई खाता दो व्यक्तियों, अर्थात ए और बी द्वारा रखा गया है, तो अंतिम शेष राशि और साथ में ब्याज, यदि लागू हो, तो उत्तरवर्ती को अदा किया जाएगा, अर्थात परिपक्वता पर बी को भुगतान किया जाएगा और किसी भी खाताधारक की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी को अदा किया जाएगा.

उपर्युक्त अधिदेश मीयादी जमा की परिपक्वता की तारीख पर या बाद में ही परिचालन में आएगा या लागू होगा. सभी खाताधारकों की सहमति से इस अधिदेश में संशोधन किया जा सकता है.

अब अगर संयुक्त जमाकर्ता **'दोनों में कोई एक या उत्तरजीवी'**, **'कोई भी या उत्तरजीवी'** या **'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी'**, के जनादेश के अनुसार जमा को समय से पूर्व निकालते है तो, दिवंगत जमाकर्ता के कानूनी वारिस के सहमति की मांग के बिना बैंक जीवित जमाकर्ता को मीयादी जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है, बशर्ते सभी जमाकर्ताओं ने खाता खोलने के समय या जमा की अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट संयुक्त जनादेश दिया है.

जमाकर्ता के अनुरोध पर, ग्राहक द्वारा दिये गए अधिदेश/मुख्तारनामा के आधार पर बैंक किसी अन्य व्यक्ति को ग्राहक की ओर से खाता संचालन के लिए प्राधिकृत करेगा.

3.16 मीयादी जमा खाताधारक अपनी जमाओं को रखते समय परिपक्वता की तिथि पर जमा खाते को बंद करने या आगे की अवधि के लिए जमा का नवीकरण करने के संबंध में अनुदेश दे सकते है.

3.17 किसी भी निर्देश के अभाव में जमा को स्वतः नवीकरण जमा माना जाएगा और परिपक्वता की तिथि पर उतनी ही अवधि अर्थात मूल जमा की अवधि के लिए फिर से निवेश कर दिया जाएगा.

3.18 नामांकन सुविधा व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों में उपलब्ध है. नामांकन की सुविधा एकल स्वत्वधारी द्वारा खोले गए खातों पर भी उपलब्ध है. नामांकन केवल एक व्यक्ति के नाम से किया जा सकता है. इस प्रकार किया गया नामांकन खाताधारक/खाताधारकों द्वारा किसी भी समय रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है. नामांकन, नामांकन का रद्दीकरण या उसमें परिवर्तन करते समय, अगर खाताधारक अशिक्षित है तो एक तृतीय पक्ष द्वारा साक्षी किया जाना चाहिए. नामांकन खाताधारक/खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है. एक अवयस्क के नाम से भी नामांकन किया जा सकता है. इस तरह के मामलों में नामांकन करते समय, जमाकर्ता को एक व्यक्ति (नियुक्त व्यक्ति) का नाम देना होता है, जो वयस्क हो और खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नामांकित अवयस्क की ओर से अल्पवयस्कता के दौरान जमा राशि प्राप्त करेगा.

3.19 बैंक संस्तुत करता है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा प्राप्त करें. जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर, नामिती कानूनी वारिस के न्यासी के रूप में खाते की शेष बकाया राशि प्राप्त करेगा. जमाकर्ता को जमा खाता खोलने के समय नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा.

3.20 खाता खोलने के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा समय-समय पर बचत खाता और साथ ही चालू खाता जमाकर्ताओं को खाता विवरण उपलब्ध कराएगा. वैकल्पिक रूप से, बैंक बचत खाता धारकों को एक पास बुक जारी कर सकता है.

3.21 जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा खातों को बैंक की किसी अन्य शाखा में ट्रांसफर किया जा सकता है.

4. कासा जमाराशियां

कासा जमाराशियों से अभिप्राय है चालू खाता और बचत बैंक खाता. इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कासा जमाराशियों पर व्यापक रूपरेखा शामिल है. विभिन्न जमा योजनाओं की विस्तृत परिचालनात्मक निर्देशों और विशेषताओं को समय-समय पर जारी किया जा रहा है.

कासा के अंतर्गत बैंक विभिन्न ग्राहक समूहों को उनके खातों में जमा शेष और खाते में विभिन्न सेवाओं पर लगने वाले प्रभारों के आधार पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चालू खाता और बचत जमा खाता के प्रकार प्रदान करेगा. वर्तमान में सामान्य चालू खाता के अलावा बैंक अतिरिक्त सुविधाओं के साथ यूनियन क्लासिक चालू खाता, यूनियन क्लासिक चालू खाता-बैंक, चालू फ्लेक्सी खाता प्रदान करता है. बचत खाता के अंतर्गत बैंक सामान्य बचत खाता, बेसिक बचत खाता, यूनियन सुपर सैलरी खाता, यूनियन फॅमिली बचत खाता, सेविंग्स फ्लेक्सी डिपॉज़िट स्कीम और कैपिटल गेन्स सेविंग्स डिपॉज़िट स्कीम प्रदान करता है. सभी जमा योजनाओं का विवरण बैंक की वैबसाइट पर उपलब्ध है.

5. बचत बैंक खाता और चालू जमा खाताधारकों के लिए वैकल्पिक वितरण प्रणाली का विस्तार

बैंक ग्राहकों को अपने बैंकिंग लेनदेन का संचालन करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का विकल्प प्रदान करता है. इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के विकल्प में एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग सुविधा और

फोन बैंकिंग सहित मोबाइल बैंकिंग शामिल है. जहां कही भी बेसिक खाता/उत्पाद के साथ इलेक्ट्रॉनिक सुविधा दी जा रही है, बैंक सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से विशिष्ट सहमति प्राप्त करेगा.

6. ब्याज का भुगतान

6.1 बचत बैंक खाते पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है. बैंक अब बचत बैंक खातों में ₹25 लाख रुपये तक की राशि पर प्रति वर्ष 3.50% की दर से एवं ₹25 लाख रुपये से अधिक शेष पर प्रति वर्ष 4% की दर प्रदान करता है. उदाहरण के लिए यदि किसी खाते में ₹30 लाख बैलेन्स है, तो ₹25 लाख तक ब्याज दर 3.50% होगी और शेष राशि ₹5 लाख पर प्रति वर्ष 4% होगी. घरेलू बचत जमा खातों के लिए ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी एवं प्रत्येक वर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में तिमाही अंतराल पर भुगतान किया जाएगा.

6.2 मीयादी जमा ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक द्वारा तय की जाती है.

6.3 सावधि जमा पर ब्याज की गणना भारतीय बैंक संघ द्वारा दिए गए व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है. घरेलू मीयादी जमा पर ब्याज की गणना त्रैमासिक अंतराल पर की जाती है एवं जमा राशि की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा तय दर पर भुगतान किया जाता है. 3 महीने से कम समय की जमा राशि पर चुकाए जाने वाले ब्याज या जहां टर्मिनल क्वार्टर अधूरा है, ब्याज का भुगतान वास्तविक दिनों के आधार पर किया जाएगा जहां वर्ष की गणना 365 दिन होगी. मासिक आय योजना के मामले में, ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी और छूट मूल्य पर मासिक भुगतान किया जाएगा.

6.4 ₹1 करोड़ से कम की सभी मीयादी जमा खातों में जनता को देय दरों के अतिरिक्त 1% प्रति वर्ष ब्याज की अनुमति है जो निम्नलिखित के नाम पर खोले गए है:

6.4.1 बैंक का कर्मचारी या बैंक का सेवा निवृत्त कर्मचारी जिसका उसके/उसकी परिवार के सदस्य/सदस्यों के साथ एकल या संयुक्त रूप से, या,

6.4.2 दिवंगत बैंक कर्मचारी के जीवनसाथी या दिवंगत सेवा निवृत्त बैंक कर्मचारी के जीवनसाथी और

6.4.3 एक संघ या एक निधि, जिसके सदस्य बैंक के कर्मचारी हैं.

6.5 निवासी वरिष्ठ नागरिकों को 12 महीनों और उससे अधिक की अवधि के लिए और ₹1 करोड़ से कम की मीयादी जमा राशि पर 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा.

6.6 स्टाफ सदस्यों/सेवानिवृत्त स्टाफ कर्मचारी/दिवंगत स्टाफ सदस्य के जीवनसाथी जो वरिष्ठ नागरिक है को 12 महीनों और उससे अधिक की अवधि के लिए और ₹1 करोड़ से कम की मीयादी जमा राशि पर जनता को दिए जाने वाले दर पर 1.50% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा तथा 12 महीनों से कम अवधि के लिए और ₹1 करोड़ से कम की मीयादी जमा राशि पर जनता को दिए जाने वाले दर पर 1% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा.

6.7 ₹1 करोड़ और उससे अधिक राशि के मीयादी जमा पर ग्राहकों के किसी भी श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अधिमान्य दर नहीं दी जाएगी. अलको(ALCO) द्वारा दूसरों को उस दिन देय सामान्य दर ऐसे खातों पर लागू होगा.

6.8 जमाओं पर ब्याज की दर शाखा परिसरों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी. जमा योजनाओं और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना अग्रिम रूप से दी जाएगी और उसे प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा.

6.9 बैंक के पास किसी भी व्यक्ति द्वारा रखे गए सभी मीयादी जमा पर दिए गए/देय ब्याज पर आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक होने पर स्रोत पर कर कटौती करने का वैधानिक दायित्व है. कटौती की गई राशि की बैंक कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा. जमाकर्ता, यदि टीडीएस से छूट का हकदार है, तो निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जमा कर सकता है.

7. अवस्यक के खाते

नैसर्गिक अभिभावक या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक (कानूनी अभिभावक) द्वारा अवयस्क (अवयस्क खाता के नाम से जाना जाता है) के नाम पर बचत बैंक खाता और आवर्ती जमा खाता सहित मीयादी जमा खाता खोला जा सकता है. एक अवयस्क के नाम पर नैसर्गिक अभिभावक के साथ या अभिभावक के रूप में माँ के साथ (अवयस्क खाता के नाम से जाना जाता है) या वयस्क के साथ, जहां नैसर्गिक अभिभावक द्वारा अवयस्क का प्रतिनिधित्व किया जाएगा संयुक्त रूप से बचत बैंक खाता या मीयादी जमा खाता खोला जा सकता है.

10 वर्ष की आयु से अधिक अवस्यक को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और उसके संचालन की अनुमति दी जाएगी-

7.1 ऐसे खाते में कोई भी न्यूनतम शेष की आवशयकता नहीं होगी. लेकिन ऐसे खाते में एक समय पर ₹50,000/- से अधिक की शेष जमा राशि नहीं होनी चाहिए और पूरे वर्ष में ₹1,00,000/- से अधिक की राशि नहीं जमा की जानी चाहिए.

7.2 ऐसे खाते हमेशा क्रेडिट में रहने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आहरित(ओवरड्रान) नहीं होना चाहिए.

7.3 अवस्यक खाता धारक को चेक बुक जारी किया जाएगा. हालांकि, चेक बुक सिर्फ खाते से स्वयं नकदी आहरण के एकमात्र उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी. अवस्यक खाता धारक तीसरे पक्ष के नाम में चेक जारी नहीं कर सकता.

7.4 अवस्यक को कोई भी ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाएगा.

7.5 खाता खोलते समय अवस्यक द्वारा खाते में परिचालन के लिए बैंक को परिचालन से संबंधित क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए पिता/माँ/कानूनी अभिभावक से वचनबंध प्राप्त किया जाएगा.

7.6 अवस्यक का खाता खोलते समय और इन खातों के संचालन में अवस्यक के केवाईसी मानदंड और समुचित सावधानी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

वयस्क होने पर, पूर्ववर्ती अवस्यक अपने खाते की शेष राशि की पुष्टि करेगा/करेगी, अगर खाता नैसर्गिक अभिभावक/अभिभावक द्वारा संचालित है तो प्रार्थना पत्र पर अवस्यक का हस्ताक्षर नैसर्गिक अभिभावक द्वारा सत्यापित कर रिकॉर्ड में रखा जाए.

8. निरक्षर व्यक्तियों के खाते

बैंक अपने विवेकाधिकार से निरक्षर व्यक्तियों के चालू खातों को छोड़कर अन्य जमा खाते खोल सकता है. इस तरह के व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्तिगत रूप से एक साक्षी के साथ बैंक में आए जो जमाकर्ता और बैंक दोनों का परिचित हो. समान्यतः ऐसे बचत बैंक खाता के लिए चेक बुक सुविधा उपलब्ध नहीं है. जमा राशि तथा/अथवा ब्याज के आहरण/की अदायगी के समय, खाताधारक प्राधिकृत

अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगूठे की निशानी का चिन्ह लगाएगा, जो उस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करेंगे. बैंक अधिकारी खाताधारक को दी गई पासबुक आदि की उचित देखभाल करने और उसे सुरक्षित स्थान पर रखने की आवश्यकता के बारे में बताएगा. बैंक अधिकारी निरक्षर व्यक्ति के खाते को लागू होने वाली शर्तों के बारे में भी बताएगा.

9. दृष्टिबाधित व्यक्ति के खाते

बैंक द्वारा दृस्टिबाधित व्यक्ति के लिए बचत जमा खाता तथा मीयादी जमा खाता खोलने की सुविधा दी जाएगी. ऐसे खाते खाताधारक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर संचालित किए जाएंगे. चेक बुक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस तरह के खाताधारक को शाखा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अंगूठे का छाप लगाना होगा और खाते मे लेनदेन की सुविधा के लिए उनके फोटोग्राफ से उनकी पहचान की जाएगी. बैंक दृस्टिबाधित व्यक्ति को अपने खाते के संचालन में सक्षम बनाने के लिए सहायक तकनीक की मदद से एटीएम& इंटरनेट बैंकिंग जैसी प्रौद्योगिकी बैंकिंग सुविधाओं को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

10. चलने फिरने में अशक्त, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशकताग्रस्त व्यक्तियों के खाते

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अनुसार जिल्हा न्यायालय या राष्ट्रिय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशकताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 के अनुसार स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा नियुक्त विधिक अभिभावक द्वारा चलने फिरने में अशक्त, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशकताग्रस्त व्यक्तियों के नाम पर बचत बैंक खाता और मीयादी जमा खाता खोले जा सकते है. नियुक्त विधिक अभिभावक द्वारा स्थानीय कानून के अनुसार एक क्षतिपूर्ण-सह वचनबद्ध बॉण्ड विधिवत मुहर लगी संरक्षक प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा.

11. संयुक्त खाताधारकों के नाम जोड़ना या हटाना

बैंक सभी संयुक्त खाता धारकों के अनुरोध पर संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है यदि ऐसा करना आवश्यक हो या एकल जमाकर्ता को संयुक्त खाता धारक के रूप में अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दे सकता है.

12. ग्राहक सूचना

ग्राहकों से प्राप्त की गई ग्राहक सूचना को बैंक, उसकी अनुषंगियों और सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा उत्पादों एवं सेवाओं की प्रति बिक्री करने हेतु काम में नहीं लिया जाएगा। यदि बैंक ऐसी सूचना का उपयोग करना चाहता है, तो इसके लिए खाताधारक की सहमति प्राप्त करना अति आवश्यक है.

13. ग्राहक के खातों की गोपनीयता

बैंक ग्राहक की स्पष्ट या अंतर्निहित सहमति के बिना अन्य व्यक्ति या पक्ष को ग्राहक के खाते की जानकारी/विवरण प्रकट नहीं करेगा. तथापि, कुछ अपवाद हैं. जैसे कानून की बाध्यता के तहत सूचना का प्रकटीकरण करना, जहाँ प्रकटीकरण करना जनता के प्रति कर्तव्य हो या बैंक के हित में प्रकटीकरण करना आवश्यक हो.

14. मीयादी जमा का समय से पूर्व आहरण

ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर, बैंक अपने विवेकाधिकार से जमा रखने के समय सहमत जमा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व सावधि जमा के आहरण की अनुमति दे सकता है. बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ-साथ प्रयोज्य दर की जानकारी प्रदान करता है. बैंक मीयादी जमा की समयपूर्व निकासी के लिए निम्नलिखित नीति है:

14.1 किसी भी अवधि की मीयादी जमा राशि, जब तक कि जमा योजना के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं होता, जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बैंक के साथ 7 दिनों से भी कम समय के लिए रखें गए मीयादी जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.

14.2 मीयादी जमा जो 7 दिन और उससे अधिक के लिए रखा गया है, मीयादी जमाराशियों के आहरण पर ब्याज का भुगतान जिस अवधि के लिए जमा वास्तव में बैंक के साथ बनी हुई थी उस अवधि की तारीख पर जो कि मीयादी जमा के समय थी बिना कोई जुर्माना लगाए लागू दर या अनुबंध दर जो कोई भी कम हो किया जाएगा.

14.3 **1 करोड़ या उससे अधिक की जमाराशि के मामले में** और 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ग्राहक को जमा को समयपूर्व बंद करने के लिए अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस देना होगा. यह प्रावधान फ्लेक्सी मीयादी जमाओं पर लागू नहीं होगा

15. मीयादी जमा का समय से पूर्व नवीकरण

यदि जमाकर्ता विद्यमान मीयादी जमा खाते को समय से पूर्व बंद करने की मांग करते हुए जमा का नवीकरण करना चाहता है, तो बैंक नवीकरण की तिथि पर प्रयोज्य दर से नवीकरण करने की अनुमति देता है बशर्ते कि जमा का नवीकरण मूल जमा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए किया जाता हो. जमा की गई राशि को नवीकरण के प्रयोजन से समय से पूर्व बंद करते समय, बैंक उस जमा पर उसके पास रखी गई अवधि के लिए प्रयोज्य दर से ब्याज अदा करेगा. न कि संविदागत दर से ब्याज अदा करेगा.

16. मीयादी जमा का नवीकरण

जमाकर्ता खाता खोलने के समय अपने खातें में या ड्राफ्ट द्वारा या उनकी पसंद की अवधि के लिए जमा के नवीकरण में परिपक्वता के भुगतान के लिए निर्देश दे सकता है. ग्राहक से किसी भी निर्देश के अभाव में, बैंक पहले की अवधि के लिए देय तारीख पर जमा नवीनीकृत करेगा जिसके लिए परिपक्व जमा रखा गया था. हालांकि, जमाकर्ता को इस तरह की अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के भीतर स्वतः नवीकरण अवधि बदलने के लिए एक विकल्प होगा.

परिपक्वता अवधि की तारीख से 14 दिनों के बाद प्राप्त की गई स्वतः नवीनीकरण के परिवर्तन के लिए अनुरोध, जमा का समयपूर्व नवीनीकरण माना जाएगा.

17. जमा के आधार पर अग्रिम

आवश्यक प्रतिभूति दस्तावेज निष्पादित करने पर बैंक मीयादी जमा के आधार पर ऋण/ओवरड्राफ्ट के लिए जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार कर सकती है. बैंक अवयस्क के नाम पर जमा राशि के खिलाफ ऋण

पर विचार कर सकता है, हालांकि, जमाकर्ता-आवेदक द्वारा एक घोषणा यह बताते हुए कि 'ऋण अवयस्क के लाभ के लिए लिया गया है' प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

18. दिवंगत के जमा खातों में पड़ी जमाराशियों का निपटान

18.1 बैंक दिवंगत खाता धारकों के खातों के निपटान के लिए एक सरल प्रक्रिया का पालन करेंगे. दिवंगत जमाकर्ताओं के दावे के संबंध में जमाकर्ता की मृत्यु के सबूत के उत्पादन और बैंक की संतुष्टि पर दावेदार की उचित पहचान के बाद उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को दावे की प्राप्ति की तारीख से एक अवधि के भीतर जो 15 दिनों से अधिक न हो भुगतान जारी किया जाएगा.

18.2 यदि जमाकर्ता ने बैंक के पास नामांकन पंजीकृत किया है - तो दिवंगत जमाकर्ता के खाते में पड़ी हुई शेष राशि बैंक द्वारा नामिती की पहचान, आदि के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद नामिती के खातें में/को अदा की जाती है.

18.3 यदि बैंक के पास नामांकन पंजीकृत किया गया हो, तो एक संयुक्त खाते के संबंध में भी उपर्युक्त कार्यविधि का पालन किया जाएगा.

18.4 एक संयुक्त जमा खाते में, जब किसी एक संयुक्त खाता धारक की मृत्यु हो जाती है. तो बैंक को दिवंगत व्यक्ति के कानूनी वारिस और उत्तरजीवी जमाकर्ता(जमाकर्ताओं) को संयुक्त रूप से भुगतान करना आवश्यक है. तथापि, यदि संयुक्त खाताधारकों ने फॉर्मों में खाते की शेष राशि के निपटान के लिए अधिदेश दिए थे, जैसे "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", 'पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी", "उत्तरजीवियों में से कोई भी या उत्तरजीवी", तो भुगतान अधिदेश के अनुसार किया जाएगा.

18.5 नामांकन नहीं होने पर और जब दावेदारों के बीच कोई विवाद न हो, तो बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक बैंक कानूनी दस्तावेजों के लिए आग्रह किए बिना सभी कानूनी वारिसों को या उनकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए कानूनी वारिसों द्वारा अधिदेशित व्यक्तियों को आवेदन और क्षतिपूर्ति बॉण्ड पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने के बाद दिवंगत व्यक्ति के खाते में बकाया पड़ी हुई राशि का भुगतान कर देता है. इससे यह सुनिश्चित करना होता है कि कानूनी औपचारिकताओं को पूरी करने में होने वाली देरी के कारण सामान्य जमाकर्ताओं को कोई कठिनाई न उठानी पड़े. निर्धारित सीमा से अधिक बकाया राशि के लिए समय समय पर बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना चाहिए.

19. दिवंगत जमाकर्ता खातें में मीयादी जमा पर देय ब्याज

19.1 जमा की परिपक्वता तिथि से पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु होने पर और अगर जमा राशि का परिपक्वता की तिथि के बाद दावा किया जाता है, तो बैंक परिपक्वता तिथि तक संविदागत दर से ब्याज का भुगतान करेगा. परिपक्वता की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक, बैंक इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार परिपक्वता तिथि के बाद बैंक के पास राशि जमा रखी अवधि तक के लिए परिपक्वता तिथि पर लागू दर से सामान्य ब्याज अदा करेगा.

19.2 यदि जमाराशियों का दावा परिपक्वता तिथि से पहले किया जाता है, तो बैंक के पास राशि जमा रखी अवधि तक के लिए लागू दर पर ब्याज दिया जाएगा.

19.3 हालांकि. परिपक्वता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, ब्याज परिपक्वता की तारीख तक संविदागत दर पर भुगतान किया जाएगा और परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक बैंक परिपक्वता की तारीख पर लागू बचत जमा दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा.

20. जमाओं के लिए बीमा सुरक्षा

भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रस्तावित बीमा योजना के अंतर्गत सभी बैंक जमाओं को कवर किया जाता है. लागू बीमा रक्षण का ब्यौरा जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा.

बैंक बीमा की सुविधा से जुड़े जमा उत्पादों का सुझाव करते समय बीमा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को विकल्प देंगे और अगर ग्राहक बीमा रक्षण के लिए विकल्प चुनता है तो स्पष्ट रूप से बीमा लागत निर्दिष्ट करें.

21. भुगतान रोको आदेश सुविधा

बैंक जमाकर्ता द्वारा चेक के संबंध में भुगतान रोकने संबंधी निर्देश स्वीकार करेंगे. निर्दिष्ट शुल्क, वसूल किया जाएगा.

22. अपरिचालित (डौरमेंट) खाते

ऐसे खाते जो दो वर्षों से संचालन में नहीं है उन्हें जमाकर्ता और बैंक के हित के लिए अपरिचालित (डौरमेंट) खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. जमाकर्ता को शुल्क के बारें में सूचित किया जाएगा, यदि कोई है, जो अपरिचालित (डौरमेंट)/इनओपरेटिव खातों पर लागू होगा. जमाकर्ता केवाईसी मानदंडों के अनुसार शर्तों के अनुपालन के बाद खातें को सक्रिय करने के लिए बैंक से अनुरोध कर सकता है.

23. ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र

जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में बैंक द्वारा नियुक्त ग्राहक शिकायतों को देखने के लिए नियुक्त अधिकारी(यों) से संपर्क करने का अधिकार है. शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक व्यवस्था का विवरण शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा. शाखा अधिकारी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे.

बैंकिंग सेवाओं से असंतुष्ट व्यक्ति पहले बैंक को शिकायत करेगा और यदि उसे बैंक से उत्तर प्राप्त नहीं होता है या वह बैंक के उत्तर से असंतुष्ट है, तो वह शिकायत के निवारण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते है.

24. यह नीति 30 सितंबर, 2018 तक वैध रहेगी तथा इसकी निरंतरता को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के साथ अधिकतम तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है.

****